| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नं... जा... तामील |
|---|---|---|
| 5/6/18 | पत्रावली लोक अदालत कैम्प गोरधा मे पेश हुई। वादी नं. 1 एवं प्रतिवादी नं. 1 व 4 मजमे आम मे उपस्थित। उभयपक्ष को मजमे आम मे सुना गया। उभयपक्ष के मध्य मूलरूप से विवाद अपनी-अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ के सम्बन्ध मे प्रकट होता है। उपस्थित पक्षकारो की मजमे आम मे समझाईश की गई तथा इस बात पर सहमति कायम की गई कि उभयपक्ष की खातेदारी आराजी की राजस्व दल का गठन कर उभयपक्ष की उपस्थिति मे पैमाईश कर सीमाज्ञान कराया जावें।<br><br>अतः उभयपक्ष की सहमति अनुसार एवं लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण इस अनुसार किया जाता है कि उभयपक्ष की खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान उभयपक्ष की उपस्थिति मे करवाया जावें तथा उभयपक्ष को भी पाबंद किया जाता है कि बाद सीमाज्ञान अपनी-अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व दल का गठन कर सीमाज्ञान करावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>[signature] 5/6/18    [signature] (लो.अ.बे.(उ.खं.)) | [signature] |

विरासतप्रस्ताव

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प मोरपा

## उनवान

1. चिराग पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग
2. वन्दना पुत्री ओमप्रकाश नाबालिग
3. सुरेखा पुत्री ओमप्रकाश नाबालिग
4. कविता पुत्री ओमप्रकाश नाबालिग
5. अर्चना पुत्री ओमप्रकाश नाबालिग जरिये वलीया माता द्रोपदी बाई बेवा ओमप्रकाश
6. द्रोपदी बाई बेवा ओमप्रकाश
7. अरूण कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासीगण धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

**बनाम**

1. परमानन्द पुत्र मथुरालाल
2. राधेश्याम पुत्र मथुरालाल जाति धोबी निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. चन्द्रमोहन पुत्र रामदयाल
4. गोविन्द प्रसाद पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासीगण धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीएक्ट**

**मिसल नम्बर–145/14**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''उभयपक्ष की खातेदारी आराजी वाके ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 538, 537/572, 536 व 537 की आराजी का सीमाज्ञान उभयपक्ष की उपस्थिति में करवाया जावें तथा उभयपक्ष को भी पाबंद किया जाता है कि बाद सीमाज्ञान अपनी–अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहे। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व दल का गठन कर सीमाज्ञान उभयपक्ष की उपस्थिति में करावें।'' तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।



Scanned by CamScanner

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तरा)मती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद



Scanned by CamScanner